METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

#OPERATIONCONVICTION

#AMETHIPOLICE

एडीजीसी श्री संजय सिंह

पैरोकार का0 संतोष कुमार तिवारी

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे Operation Conviction अभियान के अन्तर्गत चिन्हित अभियोग अमेठी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आर्म्स एक्ट के अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा 03 वर्ष कारावास एवं 10,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

अपराध का विवरण:-

सादर अवगत कराना है कि वादी मुकदमा थानाध्यक्ष ए0पी0 तिवारी द्वारा दिनांक 26.10.2010 समय 17.30 बजे की सूचना के आधार पर उपरोक्त अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस व 01 अदद खोखा कारतूस बरामद होने पर मु0अ0सं0 691/2010 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना गौरीगंज पर पंजीकृत कराया गया था।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करके माननीय न्यायालय सुलतानपुर में सशक्त प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही समयबद्ध करायी गयी जिसके फलस्वरूप दिनांक 05.04.2025 को माननीय न्यायालय एएसजे-4 सुलतानपुर द्वारा अभियुक्त को *03 वर्ष कारावास एवं 10,000 रुपये के अर्थदण्ड* की सजा सुनायी गयी। अभियुक्त को सजा दिलाने में अभियोजन अधिकारी व पैरोकार का सराहनीय योगदान रहा।

सजा का विवरण:-

- अभियुक्त को *03 वर्ष कारावास।*
- अभियुक्त को *10,000 रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड न अदा करने पर 01 माह अतिरिक्त कारावास।*

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम व पता:-

- ***अखिलेश पुत्र हरिप्रसाद चौहान नि0 नन्दा का पुरवा बरनाटीकर थाना गौरीगंज जनपद अमेठी।***